FORM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी आहोर मुकाम आहोर

तहसीलदार आहोर बनाम महादेवा S/o मोतीजी वगैरा स्वामी नि. रानीवाड़ा

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act 1956 नम्बर 77 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	सम्मन व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल जारी हुए
20-11-19	तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 20-11-19 के जरिये मौजा रानीवाड़ा के वर्तमान खसरा नम्बर 584/664 रकबा 0.62 हे. में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश किया गया है जिसे दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 22-11-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी आहोर (जालोर)	
22-11-19	पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी गणों के नोटिस तामील हुआ प्राप्त हो पत्रावली शामिल हो पत्रावली अप्रार्थी दिनांक 25-11-19 को वास्ते जवाब हेतु पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी आहोर (जालोर)	
25-11-19	पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी की ओर से वकील श्री गोपाल सोनगरा उप. वकालतनामा पेश किया जो पत्रावली शामिल हो। अप्रार्थी वकील जवाब नहीं देना चाहते हैं निर्णय प्रार्थना लिखा जाकर पत्रावली शामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी आहोर (जालोर)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्रशांत शर्मा– RAS

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

तहसीलदार आहोर महादेव पुत्र मोतीजी

जाति गोमतीवाल ब्राह्मण वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 L.R.R. Act 1956

प्रकरण सं. 77/2019

निर्णय दिनांक 25-11-19

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री सुरेशकुमार कुमार पटवारी पावटा द्वारा जरिये तहसीलदार आहोर के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 L.R.R. Act 1956 पेश कर मौजा रसियावास के वर्तमान ख.नं. 584/664 रकबा 0.62 है. जो द्वितीय भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त नम्बर मूल नक्शा शीट में दर्ज नही किया जबकि मिसल बन्दोबस्त में दर्ज कर दिया गया। खसरा नम्बर 584/664 की तरमीम नक्शे में नही होने व जमाबन्दी में दर्ज होने के कारण जमाबन्दी व नक्शा में भिन्नता होने के कारण डी.आई.एल.आर.एम.पी योजना अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त प्रकरण इस न्यायालय में दुरस्ती आदेश जारी करने हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली कायम कर जरिये नोटिस संबंधित पक्षकारान् को साक्ष्य सबूत व सुने जाने हेतु तलब किया गया। संबंधित पक्षकारान् को जरिये नोटिस सूचित करने के उपरान्त भी अपना जवाब या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया इसलिए एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। भू–अ.निरीक्षक उम्मेदपुर व पटवारी हल्का पावटा की जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा रसियावास के वर्तमान खसरा नम्बर 584/664 रकबा 0.62 है. जो द्वितीय भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त नम्बर मूल नक्शा शीट में दर्ज नही किया जबकि मिसल बन्दोबस्त में दर्ज कर दिया गया। रेकर्ड व मौका की विस्तृत जांच करने पर पाया गया कि भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान मिसल कायम की जाकर निर्णय किया जाकर उक्त खसरा की तरमीम मूल खसरा संख्या 584 का रकबा 5.03 हैक्टर बदस्तूर रखते हुए नवीन ख.नं. 584/664 रकबा 0.62 हैक्टर कि की गई है। वर्तमान नक्शा एवं जमाबंदी अनुसार ख.नं. 584 रकबा 5.30 हैक्टयर के बेचान नामा के नामान्तरकरण द्वारा दो नये ख.नं. 669/584 व 670/584 की तरमीम की गई है। इस प्रकार वर्तमान में ख.नं. 584 रकबा 5.03 हैक्टर के नये ख.नं. 584 रकबा 1.64 हैक्टर ,खसरा नम्बर 669/584 रकबा 1.79 हैक्टर व खसरा नम्बर 670/584 रकबा 1.60 हैक्टर बने है। चुंकि अब भू–प्रबंधन विभाग द्वारा मिसल बन्दोबस्त में दर्ज किये गये ख.नं.

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

Scanned by CamScanner

584/664 रकबा 0.62 हैक्टयर की तरमीम अब ख.नं. 584 मे कि जानी है। अतः बेचान के आधार पर बने तीनो खसरो 584, 669/584, 670/584 का एकीकरण कर ख.नं. 584/664 की तरमीम करना उचित रहेगा। इस प्रकार ख.नं. 584, 669/584, 670/584 की तरमीम निरस्त कर तीनो खसरो का एकीकरण करते हुए ख.नं. 584/664 रकबा 0.62 हैक्टयर की तरमीम मूल ख.नं. 584 में किया जाना उचित बताया है तथा तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त दुरस्ती करने की अनुशंषा की है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। भू–अ.निरीक्षक उम्मेदपुर व पटवारी हल्का पावटा की जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा रसियावास के वर्तमान खसरा नम्बर 584/664 रकबा 0.62 है. जो द्वितीय भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा उक्त नम्बर मूल नक्शा शीट में दर्ज नही किया जबकि मिसल बन्दोबस्त में दर्ज कर दिया गया। रेकर्ड व मौका की विस्तृत जांच करने पर पाया गया कि भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान मिसल कायम की जाकर निर्णय किया जाकर उक्त खसरा की तरमीम मूल खसरा संख्या 584 का रकबा 5.03 हैक्टसर बदस्तूर रखते हुए नवीन ख.नं. 584/664 रकबा 0.62 हैक्टयर की गई है। वर्तमान नक्शा एवं जमाबंदी अनुसार ख.नं. 584 रकबा 5.30 हैक्टयर के बेचान नामा के नामान्तरकरण द्वारा दो नये ख.नं. 669/584 व 670/584 की तरमीम की गई है। इस प्रकार वर्तमान में ख.नं. 584 रकबा 5.03 हैक्यटर के नये ख.नं. 584 रकबा 1.64 हैक्टर ,खसरा नम्बर 669/584 रकबा 1.79 हैक्टर व खसरा नम्बर 670/584 रकबा 1.60 हैक्टर बने है। चुंकि अब भू–प्रबंधन विभाग द्वारा मिसल बन्दोबस्त में दर्ज किये गये ख.नं. 584/664 रकबा 0.62 हैक्टयर की तरमीम अब ख.नं. 584 मे कि जानी है। अतः बेचान के आधार पर बने तीनो खसरो 584, 669/584, 670/584 का एकीकरण कर ख.नं. 584/664 की तरमीम करना उचित रहेगा। इस प्रकार खसरा नम्बर 584, 669/584, 670/584 की तरमीम निस्त कर तीनो खसरो का एकीकरण करते हुए ख.नं. 584/664 रकबा 0.62 हैक्टयर की तरमीम मूल ख.नं. 584 में किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा रसियावास के खसरा नम्बर 584, 669/584, 670/584 की तरमीम निरस्त कर तीनो खसरो का एकीकरण करते हुए ख.नं. 584/664 रकबा 0.62 हैक्टयर की तरमीम मूल ख.नं. 584 में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आहोर को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prashant Sharma
Date: 2019.12.28 14:35:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: